कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पलामू।

विज्ञापन संख्या – 01/2026–27

मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल–फसल रक्षक की नियुक्ति

फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में पलामू जिला के पौधा संरक्षण केन्द्र **लेस्लीगंज, पाटन, छत्तरपुर, जपला एवं डालटनगंज** पर कुल **05 (पाँच)** पद के लिऐ मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल–फसल रक्षक की अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु अनिवार्य योग्यता निम्न है :–

1. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि/उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
3. स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य होगा।
4. साइकिल चलाने ऐवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।

आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	आवेदन करने की अंतिम तिथि
20.11.2026	05.12.2026

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र **www.palamu.nic.in** एवं **https:// www.atmapalamau.org** के आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

ह0/– 19/11/26

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पलामू

Rohit –सह–सदस्य सचिव,

जिला स्तरीय चयन समिति।

Rohit

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

कार्यालयः. कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पलामू।

विज्ञापन–सह–विवरणिका

पलामू जिलान्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर चयन हेतु

विज्ञापन संख्या 01/2026–27

(1). प्रस्तावना :–

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल चयन किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से पलामू जिला के 05 पौधा संरक्षण केन्द्र **लेस्लीगंज, पाटन, छत्तरपुर, जपला एवं डालटनगंज** में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रों में कार्य करने हेतु **05 फसल रक्षक** का चयन मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला.स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन संपन्न होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05.12.2026 शाम 05:00 बजे तक होगी।

(2). सामान्य विवरण :–

क्र0 सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
01	फसल रक्षक	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महीना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11,851/– रूपये मात्र

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित केवल 11 माह के लिए है एवं स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3). रिक्तियों का विवरण :–.

क्र0 सं0	अनारक्षित (UR)	अ०ज०जा० (ST)	अ०जा० (SC)	अ०पि०व० (EBC)	आ०क०व० (EWS)	कुल रिक्ति
01	03	00	02	00	00	**05**

अनारक्षित– (UR), अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति (ST), अ0जा0 – अनुसूचित जाति (SC), अ0पि0व0 – अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), आ0क0व0 – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

नोट :–

(i) रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

(ii) पदों का कोटिवार विवरण पलामू जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

(4). अनिवार्य योग्यता :–

I. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।

II. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि/उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।

III. स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य है।

IV. साइकिल चलाने ऐवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता होनी चाहिए।

V. पलामू जिला का स्थानीय निवासी।

(5). फसल रक्षक का कार्य :–

फसल कीट व्याधि सर्वेक्षण, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य का सम्पादन।

(6). आयु सीमा (01.04.2026 के आधार पर) :–

मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु :– 18 वर्ष

क्र0 सं0	कोटि/वर्ग	अधिकतम आयु सीमा
1.	अनारक्षित (UR) ऐवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष
2.	अत्यंत पिछडा वर्ग (अनुसूची-I) (EBC-I) पुरूष	37 वर्ष
3.	महिला [अनारक्षित (UR) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) (EBC-I)]	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (SC) ऐवं अनुसूचित जनजाति (ST) (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट :– भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7). चयन प्रक्रिया एवं अंक–विभाजन :–

I. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाऐगी।

II. ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं हैं, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती हैं, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाऐगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेत्तर मूल्यांकन किया जाऐगा, जो की कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	चयन घटक	मेघा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
01.	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत। इंटरमीडिएट एवं स्नातक हेतु अतिरिक्त अंक।	10^{th} का % X 0.5 = अधिकतम 50 12^{th} का % X 0.1 = अधिकतम 10 स्नातक का % X 0.1 = अधिकतम 10 (अधिकतम = 70)
02	प्रशिक्षण	न्युनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण पश्चात अतिरिक्त प्रशिक्षण पर तदनुसार।	प्रथम पॉच दिवसीय प्रशिक्षण=15 अतिरिक्त पॉच दिवसीय प्रति दिवसीय पर= 5 X 1 (अधिकतम = 30)
		कुल अंक	100

नोटः– मेघा सूची निर्धारण में पॉच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु :–

1.CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Conversion Formula के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

2. एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।

3. प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।

4. केवल कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत कृषि, उद्यान निदेशालय, अंतर्गत संचालित कार्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

5. स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य पात्रता होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा की ज्ञान होने का घोषणा आवेदन पत्र में करना होगा। चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार स्थानीय भाषा संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की जा सकेगी अथवा भाषा परीक्षण लिया जा सकता है।

6. **साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता** – फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुऐ अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। यदि चयन समिति को आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रारूपिक मेघा सूची तैयार होने के पश्चात इनके संबंध में व्यावहारिक परीक्षण लिया जा सकता है। परीक्षण में अपेक्षित क्षमता न पाए जाने पर अभ्यर्थी को अंतिम चयन हेतु अयोग्य माना जा सकेगा।

7. यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्थियों की पात्रता, योग्यता अथवा कार्य–दक्षता के समुचित आकलन हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा/परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी परीक्षा/परीक्षण आयोजित किया जा सकता है।

8. अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

9. चरित्र प्रमाण–पत्र को अंतिम रूप से चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (Self attested) छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1- मैट्रिक/10वीं का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
2. इंटरमीडिएट/10+2 का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र यदि उपलब्ध हो।
3. स्नातक का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र एवं अतिरिक्त प्रशिक्षण–पत्र, यदि कोई हो।
5. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
6. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत पलामू जिला अन्तर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
8. EWS प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
9. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र।
10. फोटायुक्त पहचान–पत्र। (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड)
11. चरित्र प्रमाण–पत्र। (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा चयन/औपबंधिक चयन पश्चात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
12. अन्य कोई प्रमाण–पत्र, जो विज्ञापन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

नोट :–आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियो ं संलग्न नही ं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

(8) मेघा सूची एंव समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (TIE- BREAKING)

यदि दो या अधिक अभ्याार्थियों के कुल अंक समान हों, तो निम्न क्रम में अंतर–मेघा निर्धारित की जायगी–

1. मैट्रिक में अधिक अंक/ प्रतिशत।
2. अधिक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण।
3. इंटर में अधिक अंक/प्रतिशत।
4. अधिक आयु।

(9) चयन एवं योगदान :–

कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

पौधा संरक्षण केन्द/उप केन्द/प्रखंड के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीयता सम्बंधित प्रमाण–पत्र में अंकित निवास प्रखण्ड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा परन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

(10). स्थानीय निवासी एवं आरक्षण :–

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार–अनुमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि झारखण्ड सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार होना चाहिए।

(11). सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
2. चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में संपन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण–पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण–पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
5. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति को स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
7. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती है।
8. सक्षम प्राधिकारी को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल/PPC/Sub-PPC आवंटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Rohit

10. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
11. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, एवं आवेदन समर्पित कराने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
12. चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से www.palamu.nic.in एवं https://www.atmapalamau.org/ वेबसाइट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी।
13. अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।
14. चयन के संबंध में किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. फसल रक्षक को विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों का पालन करना होगा।
16. चयन हेतु घोषित सफल अभ्यर्थियों की सूची पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. **आवेदन जमा करने का पता :–** आवेदक पूर्ण रूप से भरा आवेदन–पत्र स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट द्वारा दिनांक 05.12.2026 संध्या 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन हेतु पता :– **कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पलामू,**
योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज के सामने,
मेदिनीनगर, पलामू – 822101

19/11/26

ह0/–
कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पलामू
–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति।